क्रम-संख्या–130(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 अगस्त, 2025

श्रावण 21, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

———————

संख्या 76 / 2025 / 1115 / छप्पन–2025-46-2002

लखनऊ, 12 अगस्त, 2025

———————

अधिसूचना

प0आ0–135

सामाजिक समाघात निर्धारण के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्र में ग्राम / वार्ड स्तर पर यथास्थिति सम्बंधित पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम के परामर्श से निम्नलिखित भूमियां लोक प्रयोजनार्थ अर्जित करना चाहती है और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित करना चाहती हैं। उक्त अध्ययन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

- **अपेक्षक निकाय का नाम**–नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- **प्रस्तावित भूमि के अर्जन का प्रयोजन**–जिला लखीमपुर खीरी स्थित हवाई अड्डा पलिया के विस्तारीकरण हेतु।
- **अध्ययनकर्ता संगठन**– गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- **संगठन का संपर्क सम्बन्धी विवरण**– गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (201312)।
- **भूमि का विवरण–**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
लखीमपुर खीरी	पलिया	गजरौरा	41.5028

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
		फुलवरिया	2.1405
		मुजहा	1.2850
कुल			**44.9283**
सरकारी भूमि पर अवस्थित			**कुल 29 घर।**

- **प्रस्ताावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण**– पलिया स्थित हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से क्षेत्र में अवसंरचना का विकास होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेगे तथा विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से हवाई यातायात सुगम हो जायेगा। जिससे पर्यटन में तीव्र वृद्धि होगी।
- **परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल**– प्रभावित क्षेत्र लखीमपुर खीरी जिले की तहसील पलिया के उपरोक्तानुसार 03 ग्रामों में है तथा इसमें लगभग 44.9283 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित है जिसमें 29 घर सरकारी भूमि पर अवस्थित है।
- **क्या ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित है?:** भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (उत्तर प्रदेष) नियमावली, 2016 के उपबन्धों के अनुसार।
- **सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण होने का दिनांक**– 15 अक्टूबर, 2025।

टिप्पणी– विवरण, समस्त कार्य-दिवसों में (अर्जन के प्रयोजन हेतु) कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 76/2025/1115/chhappan-2025-46-2002, Dated August 12, 2025:

No. 76/2025/1115/chhappan-2025-46-2002
Dated Lucknow, August 12, 2025

PRELIMINARY NOTIFICATION TO CARRY OUT SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

The State Government intends to acquire the following lands in consultation with the concerned Panchayat/Municipality/Municipal Corporation, as the case may be, at village/ward level, in the affected area and carry out a Social Impact Assessment study for public purpose. The study shall be undertaken as per the provisions of Section 4 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013).

- **Name of Requiring body:** Civil Aviation Department, Uttar Pradesh.
- **Purpose of proposed acquisition of land:** For expansion of Palia Airport located in District Lakhimpur Kheri.
- **Organization to undertake the study:** Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar.

- **Contact details of the Organization:** Gautam Buddha University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar (201312).
- **Land details:**

District	Tehsil	Village	Area to be Acquired (in Hectares)
1	2	3	4
Lakhimpur Kheri	Palia	Gajraura	41.5028
		Phulwaria	2.1405
		Mujaha	1.2850
Total			**44.9283**
Situated on Government Land			**Total 29 houses**

- **Brief description and benefits to be arrived from the proposed project:** Expansion of the airport at Palia will lead to development of infrastructure in the area, employment opportunities will increase, manufacturing and exports will be encouraged. In addition the expansion of Airport will facilitate air traffic leading to a rapid growth in tourism.
- **The project area and the affected areas:** The affected area is in Tehsil Palia of District Lakhimpur Kheri as per above in 03 villages and about 44.9283 hectares of land is involved with 29 houses situated on Government land.
- **Whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required?:** According to the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Uttar Pradesh) Rules, 2016.
- The date of completion of SIA: 15 October, 2025.

NOTE- The details can be had from the office of Collector (for the purpose of acquisition) in all working days.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 130 राजपत्र–2025–(407)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 आफसेट)।